न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 18/2023,(जी.सी.एम.एस. न. 2023/32) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. हीरालाल
2. प्रभू } पिस. चरन सिंह } जाति जाट नि0 जनूथर तहसील जनूथर(डीग)राज0
3. लालचन्द पुत्र रामस्वरूप

—वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत जनूथर जरिये सरपंच गीतादेवी पत्नी करतार चौधरी ग्राम पोस्ट जनूथर तहसील जनूथर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जनूथर पंचायत समिति डीग जरिये ग्राम विकास अधिकारी श्रीमति सुमन
3. तहसीलदार तहसील डीग पदेन लेण्ड होल्डर तहसील डीग

—असल प्रति0

4. भीमसिंह
5. विजय सिंह } पिस0 रामस्वरूप जाति जाट नि0 जनूथर तहसील जनूथर

तरतीवी प्रति0

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं पार्टीशन एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 188,53 आर.टी.एक्ट व इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 09.07.2024**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2577/0.07 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। जोकि साविक आराजी खसरा नम्बर 1009/09 विस्वा से बना है। वाद वादीगण बातव पार्टीशन है जिसमें कानूनन लैण्ड होल्डर तहसीलदार डीग है। लेण्ड होल्डर तहसीलदार डीग को विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. का दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रति0 संख्या 01 व 02 के विरूद्व वाद लाने में नियमानुसार 109 राज0 पंचायती राज अधि0 1994 के प्रावधानों के तहत विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन स्वयं प्रति0 संख्या 01 व 02 ग्राम पंचायत जनूथर की ओर से दिनांक 21.03.2023 को वादीगण के खिलाफ मौका व कब्जा विधिक नोटिस जारी कर सूचित किया है कि वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त गै.मु. गौतवाडा में 125—150 बर्ष पुराने नौहरे को स्थाई अतिक्रमण को 3 दिवस में हटाने बावत वादीगण को विधिक नोटिस प्राप्त होते ही जबाव नोटिस एवं विधिक नोटिस लिखित रूप से दस्ता एवं रजिस्ट्री से ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं प्रति0 को रिसीव करा दिया गया। साविक आराजी खसरा नम्बर 1009/09 विस्वा पर वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज बतौर मालिक खातेदार है जिसमें पूर्वजों बाबा ग्यासी पुत्र रामलाल द्वारा लगभग 150 बर्ष पूर्व एक नौहरा का निर्माण करवाया था उसमें अलग अलग कमरे निर्माण कराये गये जिसमें अनाज एवं चारा भरने

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

व पशुओं को बांधने की व्यवस्था है, जोकि आज भी बदस्तूर है। विवादित नौहरा आराजी खसरा नम्बर 1009 रकबा 9 विस्वा में ही निर्माण किया गया था जोकि वर्तमान में आ.ख.नम्बर 2577/0.07 हैक्टे0 में हाल सैटिलमेंट आपेर्शन में बदल दिया गया है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर मुताविक हिस्सा जमाबन्दी वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 मे गैर मु0 गौत रकबा 0.07 के समान चार कुरे मीट्स एण्ड वाउण्डस के आधार पर दिलाया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रति0 को पावंद किया जाकर राजस्व रिकार्ड हाल नक्सा ट्रेस में प्रदर्शित खसरा नम्बर 2577/0.07 वाके ग्राम जनूथर स्थित में साविक रिकार्ड खसरा नम्बर 1009/09 विस्वा के आधार पर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.08.2023 को प्रति0 संख्या 01,02 व 04 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 29.08.2023 को प्रति0 संख्या 01,02 की ओर से जबाव पेश किया गया। प्रति0 संख्या 01,02 की ओर से दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत जबाव दावा में राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत नोटिस नहीं देने की बजह से दावा खारिज किये जाने हेतु लिखा है। प्रति0 द्वारा जबाव दावा के आधार पर ही दावा खारिज करना चाहा है वादी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिनांक 23.03.2023 को अन्तर्गत धारा 109 के तहत नोटिस दिया गया है।

दिनांक 26.04.2024 को अप्रार्थीगण/ग्राम पंचायत जनूथर की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 207 आर.टी. एक्ट,पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित भूमि को 150 बर्ष पूर्व का एक नौहरा बताया गया है जिसमें पक्का निर्माण कमरे का होना अंकित किया गया है तथा नौहरे के रूप में उपयोग व उपभोग होने का कथन अंकित किया गया है। वादीगण ने स्वयं के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि आबादी में आती है। धारा 207 आर.टी.एक्ट के तहत कृषि भूमि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों की सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को हासिल है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों की रोशनी में विवादित भूमि कृषि भूमि ना होने सावित है। बावादी भूमि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों के सम्बन्ध में धारा 209 जा.दी. के तहत सिविल न्यायालयों को सुनने का अधिकार हासिल है और वैसे भी स्वयं वउदीगण के कथनों के अनुसार दावा में वर्णित भूमि के सम्बन्ध को पूर्व में हुए विवाद पर उसके पिता द्वारा सिविल न्यायाधीश के यहां वाद प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है।

प्रति0 संख्या 04 व 05 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. दिनांक 25.06.2024 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बावत खसरा नम्बर 2577/0.07 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर किस्म गै.मु. गैत पेश किया गया है। उक्त खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

577 की किस्म गै.मु. गैत है जोकि ग्राम जनूथर की आबादी में है एवं आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है। जिसमें वर्तमान में काफी बर्षों पूर्व से काश्त नहीं होती है एवं वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में भी विवादित खसरा नम्बर में 150 बर्ष पूर्व कमरा व नौहरा बना होना मद संख्या 5 में दर्ज किया है। उसके अलावा इसी आराजी (नौहरा)की बावत पूर्व में वादीगण के पिता चरन सिंह एवं वादी संख्या 3 लालचन्द ने एक दीवानी वाद संख्या 03/2013 उनवानी चरन सिंह बनाम अभय सिंह वगै0 बावत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश(बरि0 खण्ड) में पेश किया गया जिसमें वादीगण द्वारा उक्त आराजी को आबादी भूमि माना है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2577 वर्तमान में आबादी भूमि है जिसके वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा पेश वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण द्वारा दिनांक 09.07.2024 को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. व जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 207 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश किये गये। जिनके जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि तरतीवी प्रति0 संख्या 4 व 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान की गर्ज से पेश किया गया है एवं तरतीवी प्रति0 संख्या 4 व 5 वादीगण के खास चाचा व छोटे भाई है जोकि व्यक्तिगत जलन की वजह से पेश किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2577/0.07 हैक्टेयर हाल राजस्व रिकार्ड में राजस्व ग्राम जनूथर में गै.मु. गैत के रूप में दर्ज है न कि आबादी जनूथर में है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने अपने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अप्राथीगण के द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को खारिज कर दावा वादीगण को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2577 वर्तमान में आबादी भूमि है जिसके दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा पेश दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बावत खसरा नम्बर 2577/0.07 वाके ग्राम जनूथर तहसील डीग जनूथर किस्म गै.मु. गैत पेश किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 2577 की किस्म गै.मु. गैत है जोकि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जनूथर की आबादी में है एवं आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है, जिसमें वर्तमान में काफी बर्षों पूर्व से काश्त नहीं होती है एवं वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में भी विवादित खसरा नम्बर में 150 बर्ष पूर्व कमरा व नौहरा बना होना मद संख्या 5 में दर्ज किया हुआ है। उसके अलावा इसी आराजी (नौहरा)की बावत पूर्व में वादीगण के पिता चरन सिंह एवं वादी संख्या 3 लालचन्द ने एक दीवानी वाद संख्या 03/2013 उनवानी चरन सिंह बनाम अभय सिंह वगै0 बावत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश(बरि0 खण्ड) में पेश किया गया जिसमें वादीगण द्वारा उक्त आराजी को आबादी भूमि माना जाना प्रतीत है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2577 वर्तमान में आबादी भूमि है जिसके वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में हम प्रति0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं पार्टीशन एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी.एक्ट व इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 एल.आर.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व विवादित आराजी खसरा नम्बर 2577/0.07, वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर वर्तमान में आबादी भूमि है, जिसके दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने की स्थिति में दावा वादीगण मैण्टेनेबिल नहीं होने से **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner